रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052022-235967 CG-DL-E-23052022-235967

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] No. 363] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2022/ज्येष्ठ 2, 1944 NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2022/JYAISHTHA 2, 1944

उपभोक्ता मामले. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2022

सा.का.िन. 384(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 38 और धारा 22 की उप-धारा (4) के खंड (घ) तथा धारा 12 के साथ पिठत धारा 39 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) नियम 2015 में, नियम 7 में,
 - (क) उप-नियम (1) में, स्पष्टीकरण में,-
 - (i) खंड 1 में, उप-खंड (xx) और (xxi) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-
 - "(xx) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव":
 - (ii) खंड (2) में, उप-खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-"(xiv) लद्दाख":
 - (ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

3440 GI/2022 (1)

"(1क) साधारण प्रवर्ग या विशेष प्रवर्ग में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के व्यय का पुनरीक्षित मान, उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें केन्द्रीय सरकार के हिस्से की सीमा (प्रतिशत में) नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट, 1 अप्रैल, 2022 से उन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाएगी जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट सुधारों और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए निर्देशों का अनुपालन करते हैं।

	व्यय के मानदंड (प्रति क्विंटल दर, रुपए में)			
		उचित दर दुकान डीलरों का मार्जिन		
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी	राज्य के अंदर संचलन और प्रबंधन	आधारीय (बेसिक)	प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण के माध्यम से बिक्री हेतु अतिरिक्त मार्जिन	केंद्र का हिस्सा (प्रतिशत में)
सामान्य	70	90	21	50
विशेष	105	180	26	75

[फा. सं. 15-4/2018-एनएफएसए]

ममता शंकर, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

पाद टिप्पणी: मूल नियम को अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 636 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में सा.का.िन. सं. 420(अ), दिनांक 18 जून, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2022

- **G.S.R. 384(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 39, read with section 12, clause (d) of sub-section (4) of section 22 and section 38 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Security (Assistance to State Governments) Rules, 2015, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Food Security (Assistance to State Governments) (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Security (Assistance to State Governments) Rules, 2015, in rule 7,—
 - (a) in sub-rule (1), in the Explanation,
 - (i) in clause (1), for sub-clause (xx) and (xxi), the following sub-clause shall be substituted, namely: —
 - "(xx) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu";
 - (ii) in clause (2), after sub-clause (xiii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
 - "(xiv) Ladakh";
 - (b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: —
- "(1A) The revised norms of expenditure (in rupee per quintal) of Central assistance to the State Governments and Union territories in the General category or Special category, as specified in the Explanation to sub-rule (1), and the limit of the share of the Central Government thereto (in percentage), as

specified in the table below, shall be provided with effect from the 1st day of April, 2022 to those State Governments and Union territories who comply with the reforms specified in section 12 and the directions given by the Central Government from time to time, namely:-

TABLE

Category of States and Union Territories	Norms of expenditure (Rate in rupee per quintal)			
	Fair Price Shop dealers margin			
	Intra-State movement and handling	Basic	Additional margin for sale through point of sale device	Central share (in percentage)
General	70	90	21	50
Special	105	180	26	75

[F.No. 15-4/2018-NFSA]

MAMTA SHANKAR, Senior Economic Adviser

Footnote: The principal rules were published in Part II, Section3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 636 (E), dated the 17th August, 2015 and was subsequently amended vide number G.S.R. 420(E), dated 18th June, 2021.